न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 07 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. नीरज पुत्र नवरतनमल वगै. **बनाम** 1.मदनलाल पुत्र चम्पाल वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।
3. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 06 की तरफ से।

निर्णय

दिनांकः– 04.02.2021

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद पेश है क्योकि पूर्व में अपीलांटगण द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 17.12.2019 जो एकतरफा रूप से पारित किया है कि जानकारी पूर्व में अपीलांटगण को नहीं हुई ओर जब अपीलांटगण को आदेश दिनांक 17.12.2019 की जानकारी हुई तब अपीलांटगण द्वारा पत्रावली की सम्पूर्ण आदेशिकाओं की प्रति अपने पूर्व अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा को उपलब्ध करावा दी थी लेकिन तकनीकि भूलवंश अपीलांटगण के पूर्व अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा द्वारा प्रकरण में दिनांक 02.12.2019 के आदेश के विरूद्ध गलत तरीके से व तननीकि भूलवंश अपील प्रस्तुत कर दी गई जबकि आदेश दिनांक 17.12.2019 क विरूद्ध आज दिन तक अपीलांटगण द्वारा आज दिन तक कोई अपील पेश नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 24.12.2019 मुकर्रर की गई थी लेकिन मातहत अदालत द्वारा आनन फानन में पत्रावली को पेशी से पूर्व ही तलब कर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को सर्वप्रथम दिनांक 06.01.2021 को जब 02.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 51 / 2020 में निर्णय पारित किया गया तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई की उनके पूर्व अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा द्वारा दिनांक 17.12.2019 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की ही नहीं गई है। अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रमाणित प्रति दिनांक 14.01.2021 को मांगी जो तैयार होकर अपीलांटगण को दिनांक 14.01.2021 को ही प्राप्त हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी विंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में पूर्व में पेश अपील संख्या 51/2020 में पेश निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत को पठन का निवेदन किया:–

DNJ 2020(1) Page 265

DNJ (SC) 2018 Page 618

DNJ 2020(1) Page 121

DNJ (SC) 2017 Page 928 (Word sufficient cause should receive a liberal construction so as to advance substantial justice, when no negligence, inaction or want of bana fide is attributable to the appellants.)

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है जबकि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पेश अपील को दिनांक 06.01.2021 को मियाद बाहर होने से खारिज किया गया। अपीलांट स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसने आदेश दिनांक 17.12.2019 को नकले अपने पूर्व अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा को उपलब्ध करवा दी थी, इस प्रकार स्पष्ट है अपीलांट सफेद झूठ बोल रहा है। पूर्व में अपीलांट द्वारा इसी आशय की एक अपील बअनवान नीरज बनाम मदनलाल अपील संख्या 51/2020 दिनांक 16.03.2020 को प्रस्तुत की थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत फेहरिस्त में आदेश दिनांक 02.12.2020 एवं आदेश दिनांक 17.12.2019 की नकल भी प्रस्तुत की थी जिसमें यह स्पष्ट है कि अपीलांट को आदेश दिनांक 17.12.2019 की जानकारी 13 माह पूर्व हो चुकी थी उसके बावजूद भी हस्तगत अपील की 13 माह बाद प्रस्तुत की गई। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन समर्थन में पूर्व में पेश अपील संख्या 51/2020 में पेश निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत को पठन का निवेदन किया:–

DNJ (Raj.) 2011(2) Page 903 (विलम्ब स्पष्ट नहीं किया अपीलाट गंवार ग्रामवासी नहीं है।)

RLW 2012(3) Page 2142(SC)

RRT 2011(2) Page 851

RRT 2007(2) Page 939

RRT 2014(2) Page 1331

RRT 2013(2) Page 887

CCC 2016 (1) Page 165

CCC 2016(Suppl.) Page 150

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है। अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हाथों एवं सद्भावना के साथ नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी के एक–एक दिन का हिसाब पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 02.12.2019 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी तारीख दिनांक 24.12.2019 को मुकर्रर की गई थी लेकिन दिनांक 17.12.2019 को विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् उक्त पत्रावली आज पेशी पर तलब कर सुनवाई करने बाबत पेश किया गया उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रति अपीलांटगण के अधिवक्ता को दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2019 को हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों की

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

बहस सुनने के पश्चात दिनांक 02.12.2019 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे जारी रखना उचित नहीं पाते हुए निरस्त किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 से पिड़ीत होकर अपील संख्या 51/2020 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई जो मियाद बाहर होने से दिनांक 06.01.2021 को खारिज की गई उसमें भी अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलीपि पेश की गई जो पत्रावली में संलग्न है। न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण को एक बार निर्णित करने के पश्चात उसी प्रकरण को लेकर अपील पेश करना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण की इस अनुचित कार्यवाही से न्यायालय का समय जाया किया गया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 13 माह की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर